सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान देहरादून
ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून (उत्तराखंड)–248171
दूरभाष: 0135–2629310 E-mail: nsti-dehradun@dgt.gov.in

Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

पत्रांक: NSTI/DDN-T-CIT/1/2021-22(Part-1) दिनांक: 30 नवम्बर 2021

आवश्यक सूचना

CITS सत्र 2021–22 में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में रेगुलर एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना व दिशा निर्देश

प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार सत्र 2021–2022 का CITS Batch दिनांक 15 दिसम्बर 2021 से प्रारम्भ हो रहा है। रेगुलर एडमिशन के लिए प्रशिक्षणार्थियों को प्रोविजनल एडमिशन रसीद, काउंसलिंग शुल्क रूपये 1000/–जमा करने की रसीद, प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 10वीं/हाईस्कूल परीक्षा की अंकतालिका व प्रमाण पत्र, आईटीआई/डिप्लोमा/बी0टैक या सम्बन्धित तकनीकी योग्यता की अंकतालिका व प्रमाण पत्र/डिग्री की ओरिजनल व फोटोस्टेट प्रति उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्सक/राजकीय मैडिकल आफिसर द्वारा जारी किया गया Fitness Certificate तथा कोरोना टीके की दोनो डोज लगी होने का वैद्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

ऐसे अभ्यर्थियों को जिनको EWS/OBC/SC/ST श्रेणी के अन्तर्गत एडमिशन मिला है, को nimionlineadmission site पर प्रकाशित प्रारूप में आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। ऐसे प्रमाण पत्र की ओरिजनल व फोटोस्टेट प्रति उपलब्ध करानी होगी। अन्य किसी प्रारूप का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

प्रोविजनल एडमिशन पाये हुए अभ्यर्थी निम्न अनुसार संस्थान में रेगुलर एडमिशन व शुल्क आदि जमा कराने के लिए रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें:–

Electronics Mechanic & Computer Hardweare & Networking Maintenance Trade के अभ्यर्थी :– दिनांक 10.12.2021 को
Electrician Trade के अभ्यर्थी:– दिनांक 13.12.2021 को
Computer Software Application Trade के अभ्यर्थी:– दिनांक 14.12.2021 को

रेगुलर एडमिशन व शुल्क आदि जमा करने का समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक होगा।

1– सभी प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा कोविड–19 के बारें में जारी की गई मानक प्रचालन कार्यविधि(SOP) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियम का अनिवार्यतः पालन करना होगा।

2– सभी प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान परिसर में प्रवेश के समय कोरोना टीके की दोनो डोज लगी होने का वैद्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा जिसका आनलाईन मिलान किया जायेगा। किसी तरह की विसंगति पाई जाने पर ऐसे अभ्यर्थी को संस्थान परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

...2....
कृ0प0उ0

3– कोविड–19 के कारण इस बार संस्थान के छात्रावास में पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के लिए सीमित मात्रा में सीटे उपलब्ध है जिनको प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुसार आवंटित किया जायेगा। यह आवंटन दिनांक 15.12.2021 के बाद किया जायेगा जिसमें एक सप्ताह का समय लग सकता है।

4– जिन प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास में स्थान आवंटित नहीं हो पायेगा उनको स्वंय के खर्चे पर अपने रहने की व्यवस्था बाहर करनी होगी।

जिन पुरूष प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास आवंटित होगा, उनको भी छात्रावास आवंटित होने तक अपने रहने की व्यवस्था स्वंय के खर्च पर बाहर करनी होगी।

5– महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर होने की वजह से अभी छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो पाई तो उसका आवंटन प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। हालांकि सभी महिला अभ्यर्थियों को स्थान मिल पाना संभव नही हो सकेगा।

6– छात्रावास में मैस सुविधा उपलब्ध है। अतः छात्रावास मे रहने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को मैस में खाना अनिवार्य है जिसके लिए प्रशिक्षणार्थियों को मैस ठेकेदार को मासिक रूप से अलग से भुगतान करना होगा। यह भुगतान एडवांस तौर पर किया जायेगा या माह के बाद में, यह प्रशिक्षणार्थियों व मैस ठेकेदार के बीच का विषय होगा।

7– सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतू एप अनिवार्य रूप से इंस्टाल, उपयोग तथा लगातार Update करते रहना होगा।

8– ऐसें प्रशिक्षणार्थी जोकि संस्थान के छात्रावास से बाहर रहेंगें तथा बाहर से संस्थान में प्रशिक्षण के लिए आयेगें, को संस्थान के छात्रावास में जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे प्रशिक्षणार्थी केवल प्रशासनिक भवन में ही आ सकेंगें। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी ऐसा करता पाया गया तो उसे तुरन्त संस्थान परिसर से बाहर निकाल दिया जायेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

9– सभी प्रशिक्षणार्थी अपने साथ आवश्यक मात्रा में फेस मास्क व आवश्यक सेनिटाईजर आदि लेकर आयेगें।

10– प्रशिक्षण के दौरान सेनिटाईजेशन की व्यवस्था संस्थान द्वारा की जायेगी।

11– प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रशिक्षणार्थी के बीमार/कोरोना पीडित होने पर उसे तत्काल अस्पताल में दाखिल होकर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहना होगा। अस्पताल का समस्त चार्ज प्रशिक्षणार्थी को स्वय वहन करना हाोगा। कोविड से संक्रमित/प्रभावित प्रशिक्षणार्थी संस्थान में न आये क्योंकि ऐसा करने से दूसरे प्रशिक्षणार्थी संक्रमित/ प्रभावित हो सकते है।

12– ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिनके पारिवारिक सदस्य कोविड से संक्रमित/प्रभावित है वे भी संस्थान न आयें।

13– सभी प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें।

उपरोक्त के अलावा सामान्य सुरक्षात्मक उपाय जिनका पालन सभी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना है:–

i) कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी।
ii) मास्क अनिवार्य पहनना।
iii) साबुन से बार–बार हाथ धोना/सेनेटाईजिंग।
iv) श्वांस सम्बन्धी नियमों का सख्ती से पालन करना जैसे खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टीसू/रूमाल से ढककर रखना।
v) थूकना पूरी तरह प्रतिबन्धित होगा।
vi) आरोग्य सेतू एप अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा।

Fee Structure (Subject to revision) **(All dues are one time)**		For Unreserved/ OBC Category	For EWS/SC/ST/PH Category
1.	Registration Fee	Rs. 50/-	Nil
2.	Admission Fee	Rs. 100/-	Rs. 25/-
3.	Tution Fee	Rs. 1800/-	Rs. 600/-
4.	Examination Fee	Rs. 100/-	Rs.25/-
5.	CautionDeposit (Refundable)	Rs. 250/-	Rs. 250/-
6.	Library Deposit	Rs. 20/-	Rs. 20/-
7.	Zymkhana Fee	Rs. 100/-	Nil
	Total (For Non Hostellers)	**Rs. 2420/-**	**Rs. 920/-**
8.	Hostel Rent	Rs.1300/-	Rs.1300/-
9.	Hostel Deposit (Refundable)	Rs. 125/-	Rs. 125/-
	Total (For Hostellers)	**Rs.3845/-**	**Rs. 2345/-**

छात्रावास के लिए कोविड–19 नियम

1– प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन व प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा कोविड–19 के बारें में जारी की गई मानक प्रचालन कार्यविधि(SOP) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

2– प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपने आवंटित कक्ष से बाहर आने पर दूसरे लोगों के close contact में आने से बचना होगा, जब आवश्यक हो हैण्ड सेनिटाईजर का उपयोग करना तथा मास्क पहनना होगा।

3– कोरोना से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रावास मे रहने के दौरान किसी भी प्रशिक्षणार्थी को बार–बार परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी प्रशिक्षणार्थी अपने कक्ष के अलावा किसी अन्य प्रशिक्षणार्थी के कक्ष में न तो जायेगा और न ही छात्रावास में बिना वजह इधर उधर घूमेगा।

4– किसी भी प्रशिक्षणार्थी को कोविड–19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर इसको गंभीरता से लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी जिसमें ऐसे प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास से भी निकाला जा सकता है।

5– छात्रावास कक्षों में किसी को भी खाना आदि बनाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी ऐसा करता पाया जायेगा तो इसको गंभीरता से लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी जिसमें ऐसे प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास से भी निकाला जा सकता है।

6– सभी को अवगत हो कि छात्रावास के कक्ष अस्थाई रूप से आवंटित किये जायेंगे तथा संस्थान आवश्यकता पडने पर कभी भी कक्षों को खाली करा सकता है।

7– कोई भी प्रशिक्षणार्थी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उनकों आवटित कक्षों / छात्रावास भवन या छात्रावास के फर्नीचर को कोई नुकसान हो। ऐसे नुकसान की भरपाई सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी या प्रशिक्षणार्थियों के समूह से की जायेगी।

8– सभी को अवगत हो कि छात्रावास में प्रशिक्षणार्थी केवल सत्र 2021–22 की वार्षिक परीक्षा होने तक ही रह सकेंगें। परीक्षा पूरी होने पर प्रशिक्षणार्थियों को तत्काल छात्रावास खाली करना होगा।

अतः इस संस्थान में CITS Batch सत्र 2021–2022 में रेगुलर एडमिशन लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी अपने सभी आवश्यक कागजातों सहित पेज 1 पर दिये गये विवरण के अनुसार संस्थान में रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें। दिनांक 10 दिसम्बर 2021 से ही शुल्क आदि जमा कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्रावास आवंटन में दिनांक 15.12.2021 के बाद एक सप्ताह का समय लग सकता है।

30/11/21

उपनिदेशक / कार्यालयध्यक्ष